

Ministry Panchayati Raj

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work

Summary on Major achievements, significant developments and important events of MoPR for the month of January, 2020

1. The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is mandated to recommend release of Fourteenth Finance Commission (FFC) grants to rural local bodies. Accordingly, during the month, MoPR has recommended to Ministry of Finance (MoF) the release of 1st instalment of Basic Grant of Rs.353.330 crore to Punjab for FY 2017-18, 2nd instalment of Basic Grant of Rs.13.365 crore to Goa for FY 2018-19 and 1st instalment of Basic Grant of Rs.731.225 crore to Assam, Rs.910.553 crore to Tamil Nadu and 2nd instalment of Basic Grant of Rs.707.945 crore to Chhattisgarh for FY 2019-20. During the month, MoPR has also recommended to MoF for release of Performance Grant of Rs.149.68 crore to Tamil Nadu for FY 2017-18 and Rs.136.50 crore to Assam and Rs.47.45 crore to Uttarakhand for FY 2018-19.

2. Consequent to the recommendations of MoPR, MoF has released 2nd instalment of Basic Grant of Rs.13.365 crore to Goa for FY 2018-19 and 1st instalment of Basic Grant of Rs.731.225 crore to Assam and 2nd instalment of Basic Grant of Rs.707.945 crore to Chhattisgarh for FY 2019-20.

3. The total allocation and release of Basic Grant and Performance Grant under the FFC award so far is detailed below: (as on 31.01.2020)

(Rs. in crore)

Sl. No.	Year	Basic Grant		Performance Grant	
		Allocation	Release	Allocation	Release
1.	2015-16	21624.46	21510.46	--	--
2.	2016-17	29942.87	29718.76	3927.65	3499.45
3.	2017-18	34596.26	33575.12	4444.71	1943.55
4.	2018-19	40021.63	37910.78	5047.53	--
5.	2019-20	54077.80	46182.87	6609.33	--
	Total	180263.02	168897.99	20029.22	5443.00

4. Two days handholding Workshop/Training of Nodal officer of 17 State/UT's on Rashtriya Gram Swaraj Abhiyaan (RGSA) MIS was organized on 9th & 10th and 16th & 17th January 2020 for submission of Annual Action Plan and Quarterly Progress Report (QPR) in the RGSA-MIS.

5. During the month, funds to the tune of Rs.23.09 crore was released to the states of Tamil Nadu, Sikkim, Nagaland and Himachal Pradesh under the scheme of RGSA.

6. For National Panchayat Awards 2020 (Appraisal Year 2018-19), online nominations was invited under various categories of Awards. These awards will be given on 24th April, 2020 celebrated as National Panchayati Raj Day. Till now, questionnaires for the various categories of awards have already been published by 31 States and UTs.

7. Due to severe cut in the funds allocated for Advertizing and Media activities, no Print/ Video/ Radio/ outdoor publicity was possible. However, Ministry of Panchayati Raj sending daily SMSs on the mobile numbers of 2.5 lakh Sarpanches, had an excellent impact without any additional cost. This year unprecedented and overwhelming response has been received from Panchayats/States/UTs and about 55,261 Panchayats across 31 States & UTs have filled in the questionnaires. The nominations was open for entry till 4th February, 2020 and are to be forwarded by States & UTs to this Ministry by the end of February, 2020 after due verification.

8. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing the States for closure of account on PRIASoft as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS.

- (i) For the year 2018-19, 90% of GPs have closed day book and month books and around 85% of Gram Panchayats have closed their year books.
- (ii) For the current year of 2019-20, 72% of the GPs have closed their month books.
- (iii) 98% of the Gram Panchayats have been mapped with Local Government Directory (LGD) codes on Public Financial Management System (PFMS).

9. Furthermore, 1,17,847 Gram Panchayats have on-boarded PRIASoft-PFMS interface; out of which 92,131 GPs have carried out online payments through PRIASoft-PFMS Interface (PPI) for the expenditure incurred under 14th Finance Commission.

10. A unified portal is being developed by the Ministry of Panchayati Raj which is a single Application amalgamating the functionalities available in the existing Panchayat Enterprise Suite (PES) Applications. This portal is developed with an aim of transitioning to Work Based Accounting, which essentially means tracking every expenditure incurred for each of the activities proposed under the Gram Panchayat Development Plans. In this regard, National Consultation/Feedback workshops were organized in Lucknow and Hyderabad on January 21, 2020 and January 23, 2020 respectively. The salient features of the unified portal were deliberated with the participating States and inputs/ feedback/ suggestions were sought on the Unified Portal.

11. A meeting was held on January 24, 2020 to discuss the surveying methods that could be effectively utilized to demarcate inhabitant (abaadi) land in rural areas using drone technology. During the meeting, it was decided to prepare a concept paper in conjunction with NITI Aayog and Survey of India (SOI), since SOI is already implementing drone survey to demarcate rural inhabited areas.

पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय संविधान के 73वें संशोधन के संबंध में पक्षसमर्थन, निगरानी और इसको लागू करने के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों को प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करके तथा उनका क्षमता निर्माण करके प्रशासनिक आधारभूत संरचना, बुनियादी सेवाओं आदि को सुदृढ़ करना शामिल है। उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के रोडमैप के तीन स्तंभ हैं:

- वित्त आयोग वित्तपोषण के माध्यम से बुनियादी सेवाओं का प्रावधान,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और परामर्शी कार्य द्वारा समावेशी और सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरित और समग्र आयोजना

जनवरी, 2020 के महीने के प्रमुख उपलब्धियों, महत्वपूर्ण विकास और मंत्रालय की महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश

1. पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ग्रामीण स्थानीय निकायों को चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान जारी करने हेतु अधिदेशित है। तदनुसार, माह के दौरान, पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पंजाब को 353.330 करोड़ रुपये अनुदान की पहली किस्त, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए गोवा को 13.365 करोड़ रुपये की मूल अनुदान की दूसरी किस्त और वित्त वर्ष 2019-20 हेतु असम को 731.225 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 910.553 करोड़ रुपये की मूल अनुदान की पहली किस्त और छत्तीसगढ़ को 707.945 करोड़ रुपये के मूल अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश वित्त मंत्रालय को की है। माह के दौरान, पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए तमिलनाडु को 149.68 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए असम को 136.50 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 47.45 करोड़ रुपये के निष्पादन अनुदान की सिफारिश की है।

2. पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए गोवा को 13.365 करोड़ रुपये की मूल अनुदान की दूसरी किस्त और असम को 731.225 करोड़ रुपये की मूल अनुदान की पहली किस्त और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए छत्तीसगढ़ को मूल अनुदान की दूसरी किस्त 707.945 करोड़ रुपये जारी की है।

3. अभी तक एफएफसी अवार्ड के तहत मूल अनुदान और निष्पादन अनुदान का कुल आवंटन और जारी धनराशि का विस्तृत व्यौरा नीचे दिया गया है: (31.01.2020 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	मूल अनुदान		निष्पादन अनुदान	
		आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
1.	2015-16	21624.46	21510.46	--	--
2.	2016-17	29942.87	29718.76	3927.65	3499.45
3.	2017-18	34596.26	33575.12	4444.71	1943.55
4.	2018-19	40021.63	37910.78	5047.53	--
5.	2019-20	54077.80	46182.87	6609.33	--
	कुल	180263.02	168897.99	20029.22	5443.00

4. वार्षिक कार्य योजना और तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) को आरजीएसए-एमआईएस में प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 9 एवं 10 और 16 एवं 17 जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) -एमआईएस

पर 17 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के नोडल अधिकारी की दो दिवसीय हैंडहोल्डिंग वर्कशॉप / प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

5. महीने के दौरान, आरजीएसए की स्कीम के तहत तमिलनाडु, सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों को 23.09 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी।

6. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2020 (मूल्यांकन वर्ष 2018-19) के लिए, विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों के तहत ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए गए थे। ये पुरस्कार 24 अप्रैल, 2020 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दिये जाएंगे। अब तक, 31 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रश्नावली पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है।

7. विज्ञापन और मीडिया गतिविधियों के लिए आवंटित धन में भारी कटौती के कारण कोई प्रिंट / वीडियो / रेडियो / आउटडोर प्रचार संभव नहीं था। हालांकि, पंचायती राज मंत्रालय ने 2.5 लाख सरपंचों के मोबाइल नंबरों पर दैनिक एसएमएस भेजकर, बिना किसी अतिरिक्त लागत के उत्कृष्ट प्रभाव डाला। इस वर्ष पंचायतों / राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से अभूतपूर्व और जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की लगभग 55,261 पंचायतों ने प्रश्नावली भरी है। नामांकन 4 फरवरी, 2020 तक प्रविष्टि के लिए खुला था और उपयुक्त सत्यापन के बाद फरवरी, 2020 के अंत तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा इस मंत्रालय को भेजा जाना था।

8. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों को उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए राज्यों को प्रेरित कर रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय प्रियासॉफ्ट पर खाता बंद करने के साथ-साथ पीएफएमएस पर ग्राम पंचायत पंजीकरण के लिए राज्यों को प्रेरित कर रहा है।

(i) वर्ष 2018-19 के लिए 90% ग्राम पंचायतों ने डे-बुक और मंथ-बुक बंद कर दी है और लगभग 85% ग्राम पंचायतों ने अपनी ईयर-बुक बंद कर दी हैं।

(ii) 2019-20 के चालू वर्ष के लिए 72% ग्राम पंचायतों ने अपनी मंथ-बुक बंद कर दी हैं।

(iii) 98% ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पर स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) कोड के साथ मैप किया गया है।

9. इसके अलावा, 1,17,847 ग्राम पंचायतों को प्रियासॉफ्ट-पीएफएमएस इंटरफेस में ऑन-बोर्ड किया गया है जिसमें से 92,131 ग्राम पंचायतों ने 14वें वित्त आयोग के तहत आने वाले खर्च के लिए प्रियासॉफ्ट-पीएफएमएस इंटरफेस (पीपीआई) के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया है।

10. पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक एकीकृत पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जो मौजूदा पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) अनुप्रयोगों में उपलब्ध कार्यात्मकताओं को समाहित करता है। इस पोर्टल को कार्य आधारित लेखांकन में परिवर्तन के उद्देश्य से विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के तहत प्रस्तावित प्रत्येक गतिविधियों के लिए किए गए प्रत्येक व्यय पर नज़र रखना है। इस संबंध में, लखनऊ और हैदराबाद में राष्ट्रीय परामर्श / प्रतिक्रिया कार्यशालाएं क्रमशः 21 जनवरी, 2020 और 23 जनवरी, 2020 को आयोजित की गईं। यूनिफाइड पोर्टल की मुख्य विशेषताओं में भाग लेने वाले राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया और एकीकृत पोर्टल के संबंध में इनपुट / फीडबैक / सुझाव मांगे गए थे।

11. सर्वेक्षण के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 24 जनवरी, 2020 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का सीमांकन करने के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। बैठक के दौरान, नीति आयोग और भारतीय सर्वेक्षण के संयोजन से एक अवधारणा-पत्र तैयार करने का

निर्णय लिया गया था, क्योंकि भारतीय सर्वेक्षण पहले से ही ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण को लागू कर रहा है।
